भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1767

2 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि उत्पादों के लिए अखिल भारतीय बाजार का निर्माण

1767. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

डॉ0 श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

डॉ0 प्रीतम गोपीनाथराव मुंडेः

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कृषि उत्पादों के लिए एक अखिल भारतीय ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या मध्यस्थ व्यापारियों और स्थानीय राजनेताओं ने कृषि उत्पादों के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार का विरोध किया था और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या लगभग 40 प्रतिशत भारत अब सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहा है जो कि आगे चलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति को और खराब कर सकता है और फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों की संभावनाओं को नष्ट कर सकता है जो ग्रामीण उपभोक्ताओं से विक्रय 40 प्रतिशत प्राप्त करती है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा मध्यस्थों को हटाने के लिए कृषि उत्पादों को सफल बनाने हेतु ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए क्या सख्त कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): जी हाँ, सरकार ने 14 अप्रैल, 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली बनाना है। अब तक 16 राज्यों और 02 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के 585 थोक विनियमित बाजारों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ समेकित

किया गया है। दिनांक 25.06.2019 तक इस योजना के तहत कुल 1,64,47,924 किसानों को पंजीकृत किया गया है। पहले से ही 2,57,92,311.76 मीट्रिक टन की कुल मात्रा, जोकि 70784.23 करोड़ रुपये है, का कुल व्यापार लेनदेन 25.06.2019 तक ई-नाम प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया गया है।

(ख) यद्यपि कुछ स्थानीय मंडियों में व्यापारियों के कुछ शुरुआती विरोध थे, संबंधित स्थानीय एपीएमसी अधिकारियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से ई-नाम को बढ़ावा दिया है, जैसे कि हितधारकों के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण और प्रेरणा का निर्माण और ई-नाम के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए व्यापारियों के मुद्दों का समाधान करने के लिए विनियामक परिवर्तन।

(ग) और (घ): भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के दूसरे दूरगामी पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 31.05.2019 को जारी वर्ष 2019 के दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितंबर) के लिए पूरे देश में सामान्य वर्षा (लंबी अवधि के औसत का 96% से 104%) होने की संभावना है।

(ड.) सरकार द्वारा ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजारों को सफल बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम जैसे कि ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर-राज्य व्यापार और अंतर मंडी व्यापार को बढ़ावा देना है। राज्यों को जिंसों की उचित गुणवत्ता परीक्षण, ई-व्यापार, ऑनलाइन भुगतान सुविधा के लिए ई-नाम मंडियों में गुणवत्ता परख सुविधाओं को सुदृढ़ करने की सलाह दी गई है। लेनदेन और ई-व्यापार में सरलता के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को बढ़ाया गया है। विभिन्न स्तरों पर बैठक और अधिकारियों द्वारा ई-नाम मंडियों के दौरे के माध्यम से प्रगति की निकट मानिटरिंग की जाती है। केंद्र सरकार गुणवत्ता परख उपकरणों और अवसंरचनाओं जैसे सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग और खाद इकाई आदि का निर्माण सहित संबंधित हार्डवेयर के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर और सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत ई-नाम के सफल कार्यान्वयन के लिए किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारक के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।